

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर,
EMAIL-dri.ayu@rajasthan.gov.in

दूरभाष- 0145-2425993,
0145-2425047

कमांक:प.3 / सामा.7 / मु.मन्त्री.युवासम्बल योजना / 2021 /

दिनांक :-

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक
आयुर्वेद विभाग
2. समस्त उपनिदेशक
आयुर्वेद विभाग, राजस्थान

विषय:- संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019 के क्रम में।
प्रसंग:- संयुक्त शासन सचिव, श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के पत्रांक प.1(3)
मु.मन्त्री.युवासम्बल योजना / 2021-22 / 10079 दिनांक 27.10.2021 बाबत।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में समाहित बिन्दु सं. 56 के अनुसरण में पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019 को और बेहतर बनाते हुये राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौशल व रोजगार से जोड़ने हेतु "मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021" के दिशा निर्देश प्राप्त हुये है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र की प्रति सलंगन कर निर्देशित किया जाता है कि ~~संलग्न~~ मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019 को और बेहतर बनाते हुये राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को, बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौशल व रोजगार से जोड़ने के सम्बन्ध में सहयोग/आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार

(आनन्द कुमार शर्मा)
अति० निदेशक (आयुर्वेद)

कमांक:प.3 / सामा.7 / मु.मन्त्री.युवासम्बल योजना / 2021 / 17168 दिनांक :- 17/11/21
प्रतिलिपि:- श्रीग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को प्रासंगिक आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

(आनन्द कुमार शर्मा)
अति० निदेशक (आयुर्वेद)